स्टार्टअप को 40 करोड़ रुपये तक की मदद करेगी सरकार

स्टार्टअप नीति-2026 में अहम बदलाव पूंजी से लेकर बाजार तक मिलेगी मदद

50% तक डीप-टेक को अतिरिक्त प्रोत्साहन

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। यूपी को स्टार्टअप का गढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने स्टार्टअप नीति-2026 में पूंजी जुटाने से लेकर उत्पाद तैयार करने और बाजार तक पहुंच बनाने के लिए अहम बदलाव किए हैं।

नई नीति में डीप टेक स्टार्टअप को सामान्य प्रोत्साहन के मुकाबले 50% अतिरिक्त सहायता देने के साथ एक पात्र स्टार्टअप को सरकार की ओर से 40 करोड़ रुपये तक की मदद का भी प्रावधान किया गया है। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम चार स्टार्टअप्स को यह सहायता मिलेगी। इससे लंबे समय में परिणाम देने वाले तकनीकी स्टार्टअप को शुरुआती दौर के बाद भी पूंजी की कमी नहीं होगी।

नीति में स्टार्टअप के लिए 4% ब्याज सब्सिडी भी महत्वपूर्ण बदलाव है। दो करोड़ रुपये तक के टर्म लोन पर यह ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इससे शुरुआती दौर से आगे बढ़ चुके स्टार्टअप को कारोबार विस्तार के लिए कर्ज लेना सस्ता होगा। पेटेंट और गुणवत्ता प्रमाणन पर दो करोड़ रुपये तक की प्रतिपूर्ति और पांच करोड़ रुपये तक की मैचिंग ग्रांट का भी प्रावधान है। नई नीति में एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम तकनीक, अंतरिक्ष तकनीक, हेल्थटेक, एग्रीटेक पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को विशेष पैकेज देने की व्यवस्था की गई है। इन्हें शुरूआती मॉडल तैयार करने के लिए 20 लाख, सीड फंडिंग के रूप में 30 लाख और शोध के लिए लागत का 40% तक वित्तीय सहयोग मिल सकता है। >> सामान्य स्टार्टअप के लिए भी बढ़ा प्रोत्साहन : पेज 2

लोकभवन में इनक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स को प्रमाणपत्र देते सीएम योगी। - स्रोत : सूचना

सीएम ने स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स को बांटी प्रोत्साहन राशि : सीएम योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को लोकभवन में स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी में दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली युवा कार्यबल है। सरकार की कोशिश है कि युवाओं को स्टार्टअप के जरिये आगे बढ़ने का मंच मिले। >> हमारी वर्कफोर्स दुनिया में सबसे युवा : पेज 2

डीप टेक स्टार्टअप्स

डीप टेक स्टार्टअप्स उन कंपनियों या व्यवसायों को कहा जाता है जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों, उन्नत इंजीनियरिंग और गहन शोध पर आधारित तकनीकी समाधान विकसित करते हैं।